

राजस्व/2021/416
श्रीकरणपुर (राजस्व)
श्रीकरणपुर।

दिनांक :- 08/11/21

विषय:-

प्रकरण संख्या 95/2021 अनवान परमजीत बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 संबध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 धर्ती भाति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 26 एफ की जमाबन्दी सम्बत 2076 व 79 के खाता संख्या 56 में अंकित परमजीत कौर पुत्री सुखदेव हिस्सा 16/15861, परमजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह हिस्सा 16/47583 की दोहरी प्रविष्टि को परमजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह हिस्सा 7/5287 जाति जटसिख साकिन देहखातेदार व खाता संख्या 78 में परमजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह हिस्सा 139/6679 ,परमजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह हिस्सा 139/20037 की दोहरी प्रविष्टि को परमजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह हिस्सा 185/6679 जाति जटसिख साकिन देहखातेदार अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर होंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।



ba
[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीकरणपुर

0/1
19

